132

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **के0सी0 जैन**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1196–दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–06–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–567/निगरानी/06–07

.....

रमेश प्रसाद तनय अनुसुइया प्रसाद
निवासी–कसियारी तहसील त्यौथर,
जिला–रीवा(म0प्र0)

------आवेदक

विरूद्ध

अनुसुइया प्रसाद तनय देवनारायण
निवासी–ग्राम सियारी तहसील त्यौंथर
जिला–रीवा(म0प्र0)

------अनावेदक

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २५-9-16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 कै अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण क्रमांक प्रकरण क्रमांक–567/निगरानी/06–07 में पारित आदेश दिनांक 27–06–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम कसियारी की भूमि खसरा नं. 81/2 रकबा 0.76 ए.नं. 82/2 रकबा 0.10 ए.न., 97/1 रकबा 0.43 ए.नं. 98/1 रकबा 0.23 ए.न. 98/2 रकबा 0.22 ए.न. 108/0 रकबा 0.46 ए.न. 109/1 रकबा 1.90 ए.न. 110/1 रकबा 1.39 ए.न. 118/1 रकबा 0.63 ए.नं. 119/2 रकबा 1.22 ए.न. 124/2 रकबा 0.43 एन.न. 133 रकबा 0.38 रकबा 1.66 ए.न. 136/2 रकबा 0.24 ए.न. 149/2 रकबा 6.39 ए.न.

188/1 रकबा 0.03 ए. कुल किता 16 रकबा 16.47 एकड़ भूमि का बटवारा किये जाने हेतु तहसील न्यायालय में आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रकरण क्रमांक 50/ब–27/05–06 दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 28.11.06 और आवेदक को फर्द बटवारे के अनुसार भूमि 7.38 हिस्से में प्राप्त हुई । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष ही पुनर्विलोकन आवेदन दिया गया, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाकर आदेश दिनांक 12.01.2007 पारित किया, जिसके अनुसार प्रकरण के निराकरण तक विवादित भूमि के विक्रय पर रोक लगा दी गई । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, त्यौंथर के समक्ष अपील पेश की गई जो प्रकरण क्रमांक 78/अ–27/06–07 पर दर्ज होकर दिनांक 06.02.2007 को आवेदक के हक में आदेश पारित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी त्यौंथर के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 06.02.07 में दिया गया स्थंगन आदेश बैकेट(रिक्त) किये जाने का निवेदन किया गया । प्रकरण क्रमांक 567/06–07/निगरानी पर पंजीबद्ध होकर दिनांक 27.06.2007 को आवेदक के विपक्ष में आदेश पारित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि विचारण न्यायालय आदेश एकपक्षीय आदेशा था। अतः इस कारण ऐसे आदेश की केवल अपील ही ग्राह्य थी न की पुनराविलोकन आवेदन इस वैधानिक बिन्दु पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया गया । आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रथम दृष्टि में आवेदक के हित में पाया था । इसी कारण आवेदक के हित में स्थंगन आदेश प्रदान किया गया था। ऐसे विधिवत तौर पर दिये गये आदेश को निरस्त कराने के लिये अनावेदक द्वारा उसी न्यायालय के समक्ष स्थंगन बैकेट(रिक्त) किये जाने का आवेदन पत्र दिया जाना चाहिये था, जो नहीं दिया गया । अतः इस कारण स्थंगन दिये गये न्यायालय के समक्ष बैकेट(रिक्त) आवेदन न दिये जाने की स्थिति में अन्य किसी न्यायालय द्वारा स्थंगन बैकेट(रिक्त) नहीं किया जा सकता । अपर आयुक्त को

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.07 बैकेट किये जाने की अधिकारिता नहीं थी, क्योंकि स्थंगन के बिन्दु पर यह आवश्यक होता है कि स्थंगन किन–किन आधारों पर प्रदान किया गया और बैकेट(रिक्त) कराने के लिये उसी न्यायालय के यानि स्थंगन देने वाले न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत होगा । अनावेदक द्वार अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्थंगन बैकेट कराने का कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में आवेदक के हित में जारी स्थंगन आदेश अपास्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैधानिक त्रुटि की गई है । उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया गया है कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थंगन आदेश दिनांक 06.02.2007 बैकेट(रिक्त) किये जाने का निवेदन किया गया था । तब ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है । अतः ऐसा आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम कसियारी स्थित विवादित भूमि खसरा नं. 81/2 रकबा 0.76 ए.नं. 82/2 रकबा 0.10 ए.न., 97/1 रकबा 0.43 ए.नं. 98/1 रकबा 0.23 ए.न. 98/2 रकबा 0.22 ए.न. 108/0 रकबा 0.46 ए.न. 109/1 रकबा 1.90 ए.न. 110/1 रकबा 1.39 ए.न. 118/1 रकबा 0.63 ए.नं. 119/2 रकबा 1.22 ए.न. 124/2 रकबा 0.43 एन.न. 133 रकबा 0.38 रकबा 1.66 ए.न. 136/2 रकबा 0.24 ए.न. 149/2 रकबा 6.39 ए.न. 188/1 रकबा 0.03 ए. कुल किता 16 रकबा 16.47 एकड़ भूमि का बटवारा किये जाने हेतु तहसील न्यायालय में आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के हित में आदेश पारित किया गया, इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा भी तहसील न्यायालय में निगरानी पेश की गई और निवेदन किया गया कि आवेदक के पक्ष में जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्त किया जाये । तहसील न्यायालय का आदेश अपीलीय आदेश था । इसी कारण वश तहसील न्यायालय ने अनावेदक के आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुये दिनांक 12.01.07 को पारित कर प्रकरण के निराकरण

तक विवादित भूमि के विक्रय पर रोक लगा दी। अनावेदक ने इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की । यहॉ पर भी अनावेदक के विपक्ष में आदेश पारित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से परिवेदित होकर अपर आयुक्त रीवा के यहॉ अनावेदक द्वारा निगरानी प्रस्तुत अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित स्थंगन आदेश दिनांक 06.02.07 बैकेट(रिक्त) किये जाने का निवेदन किया गया । अपर आयुक्त रीवा ने उभयपक्षों की बहस श्रवण कर और प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों का अध्ययन कर दिनांक 27.06.2007 को विधिवत आदेश पारित किया गया, जिसमें प्रकरण के निराकरण तक अनुविभागीय अधिकारी त्यौंथर के द्वारा पारित स्थंगन आदेश दिनांक 06.02.07 का बैकेट(रिक्त) किया गया । मैं अपर आयुक्त रीवा के इस आदेश से सहमत हूँ। चूँकि तहसील न्यायालय ने जो आदेश पारित किया था वह विधि के विपरीत था और अनुविभागीय अधिकारी ने उसी आदेश को यथास्थिति रखने में भूल की है । अतः अपर आयुक्त ने विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जारी आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 27.06.07 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,